

47/9

पत्रावली पेश (दुबई) आधिकारिक पक्षकार उपाल्पित
है। वहल पर मतलबिषा एक पत्रावली है
अपस्तोत्र (दिया रूप) प्रविवाही संख्या 1231



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

आफु हाजरी न जायत

फर्द अहकाम
राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ जिला-राजसमन्द

63 सन् 2016 किस्म मुकदमा 919

श्री शंभु सिंह बनाम श्री कालु सिंह

आदेशिका

हस्ताक्षर/सूचना

एउ दूसरे मे विलय (Amalgamation) हो जात है तथा
इस प्रकार निर्णय पारित किया जाता है कि श्री शंभु सिंह
एउ ही दवा प्रस्तुत किया गया है)

अतः पुत्रिवली संख्या 10203 सी फोरट
प्रस्तुत निर्णय पत्र अन्तर्गत धारा 100 एवं 151 ज.सी.
के अन्तर्गत धारा 10 C.P.C. के तहत ही
अस्वीकार कर खारीज सिद्धि जाते हैं। व इस
प्रकार संख्या 63/2016 वाद श्री शंभु सिंह
वनाम श्री कालु सिंह व रजिस्ट्रार सी प्रकरण संख्या
4/2017 वाद श्री कालु सिंह व रजिस्ट्रार वनाम
शंभु सिंह व रजिस्ट्रार के साथ Consolidate
सिद्धि जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश
सुले न्यायालय में हुनाम गया। पत्रावली फॉर्मल
शुभाह ही कर नम्बर से कर ही। व
प्रकरण संख्या 4/2017 वाद के साथ
Consolidate की जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

